देवराज नागर
आई.पी.एस.

अर्द्ध शा0 परिपत्र संख्या: डीजी- 47

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1-तिलक मार्ग, लखनऊ

दिनांक:लखनऊ:अगस्त 19 ,,2013

प्रिय महोदय,

जैसा कि आप अवगत ही है कि जनसंख्या में तीव्र गति से उत्तरोत्तर वृद्धि होने के साथ ही वाहनों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हो रही है। मोटर गाड़ियाँ मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग बनती जा रही है। प्रदेश में प्रतिवर्ष पंजीकृत वाहनों में लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। फलस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है तथा इन दुर्घटनाओं में मरने व घायल होने वाले व्यक्तियों की संख्या भी चिन्ताजनक है। **सड़क दुर्घटनाओं के विश्लेषण से पाया गया है कि प्रदेश में सर्वाधिक दुर्घटनायें वाहन चालकों की गलती से होती है।**

2- यातायात निदेशालय द्वारा प्रदेश के जनपदों को यातायात प्रवर्तन कार्य हेतु विभिन्न प्रकार के आधुनिकतम उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं तथा इन उपकरणों के संचालन व रख-रखाव आदि के बारे यातायात पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित भी कराया गया है। **अवगत कराना है कि यातायात उपकरणों के माध्यम से किये गये चेकिंग/चालानों की समीक्षा करने पर पाया गया कि जनपदों में स्पीड राडार व ब्रेथ एनलाइजर का प्रभावी उपयोग नही किया जा रहा है।**

3- **उल्लेखनीय है कि वर्ष-2012 में 5704 सड़क दुर्घटनायें तेज गति से वाहन चलाने के कारण हुई है जिसमें 2947 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 3717 व्यक्ति घायल हुये। इसी अवधि में शराब/दवा का सेवन कर नशे की हालत में वाहन चलाने के कारण कुल 4558 सड़क दुर्घटनायें हुई, जिसमें 2414 लोगों की जान चली गयी तथा 3243 व्यक्ति घायल हो गये।** इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुये स्पीड राडार व ब्रेथ एनलाइजर की सहायता से वाहनों की चेकिंग/चालान की कार्यवाही पर विशेष ध्यान दिया जाना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है।

4- **सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु अपने-अपने जनपद में स्पीड राडार व ब्रेथ एनालाइजर की सहायता से यातायात नियमों/संकेतों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध दिनांक 26-08-2013 से 09-09-2013 तक (कुल 15 दिवस) सघन अभियान चलाया जाय।** इस अभियान को चलाते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाय:-

(क) पुलिस कर्मी किसी से दुर्व्यवहार न करें किन्तु अपना कार्य शालीनता और कड़ाई से अवश्य करें।

(ख) अभियान के अन्तर्गत प्रतिदिन दो घण्टे ही ऐसे वाहनों की सघन चेकिंग व चालान हो। वाहन चेकिंग के लिये अलग-अलग दिवसों में अलग-अलग समय पर वाहनों की चेकिंग की जाय। प्रतिदिन समय का निर्धारण जिले के प्रभारी पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाय।

(ग) बच्चों के स्कूल जाने और कार्यालय दिवस में कार्यालय जाने के समय यह चेकिंग न किया जाय ताकि बच्चों और कार्यालय जाने वालो को विलम्ब व असुविधा न हो।

(घ) चेकिंग के समय कोई पक्षपात व भेदभाव आदि न किया जाय।

(च) चेकिंग कार्य राजपत्रित अधिकारियों के पर्यवेक्षण में हो।

5- **जनपदों में उपरोक्तानुसार किये गये कार्यो की मेरे द्वारा समीक्षा भी की जायेगी। अभियान समाप्ति के उपरान्त जनपदों में हुई कार्यवाही का विवरण संलग्न निर्धारित प्रारूप में तैयार कराकर अपने परिक्षेत्र व जोन के माध्यम से यातायात निदेशालय, उ0प्र0 को दिनांक 12-09-2013 तक अवश्य भेज दिया जाय।**

6- अनुरोध है कि उपरोक्त सम्बन्ध में अपने जनपद के सभी अधिकारियों व थाना प्रभारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें। मुझे विश्वास है कि आप सभी इस विषय में रूचि लेकर अपेक्षित कार्यवाही करायेंगे।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

(देवराज नागर) 9-8-13

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश

संलग्नक: यथोपरि

प्रतिलिपि: अपर पुलिस महानिदेशक/निदेशक, यातायात, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं जनपदों में हुई कार्यवाही से अवगत कराये जाने हेतु प्रेषित है।

प्रतिलिपि: समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित है कि अपने जोन की संकलित आख्या संलग्न प्रारूप में तैयार कराकर दिनांक 12-09-2013 तक यातायात निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
संलग्नक: यथोपरि

प्रतिलिपि: समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित है कि वह अधीनस्थ जनपदों की संकलित आख्या संलग्न प्रारूप में तैयार कराकर समय से अपने जोनल पुलिस महानिरीक्षक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
संलग्नक: यथोपरि

प्रारूप

दिनांक 26-08-2013 से 09-09-2013 तक चलाये गये अभियान के दौरान की गई कार्यवाही से सम्बन्धित विवरण

क्र0सं0	जोन/परिक्षेत्र का नाम	जनपद का नाम	स्पीड राडार के माध्यम से चालान किये गये वाहनों की संख्या	ब्रेथ एनलाइजर के माध्यम से चालान किये गये वाहनों की संख्या	कालम 4 व 5 का योग	आलोच्य अवधि में वसूल की गई शमनशुल्क की कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6	7